

1- थाना कछवां पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति व ननद गिरफ्तार

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कछवां पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी पति व ननद को गिरफ्तार किया। दिनांक 29/30.07.2020 की रात्रि थाना कछवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भटपुरवां निवासिनी रीता उर्फ सुधा पत्नी मनोज कुमार राय उम्र करीब-35 वर्ष व उसके पुत्र समर उर्फ चिट्टू उम्र करीब-03 वर्ष पारिवारिक गृह कलह के कारण विषाक्त पदार्थ खा लिए थे,जिनकी उपचार के दौरान दिनांक 30.07.2020 को प्रातः मृत्यु हो गयी थी, इस संबंध में वादी मृतका के चाचा हंसराज शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा निवासी निधापुर थाना मुगराबादशाह पुर जनपद जौनपुर की तहरीर पर मृतका के पति मनोज,ननद व सास के विरुद्ध थाना कछवां पर आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में वाछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के क्रम में त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर आरोपी अभियुक्त मृतका का पति मनोज कुमार राय पुत्र स्व0 श्रीनाथ राय निवासी भटपुरवां थाना कछवां मीरजापुर व ननद निवासिनी उमरिया खुर्द थाना बदलापुर जनपद जौनपुर को कृश्रियन हास्पिटल कछवां से दिनांक 30.07.2020 समय 19.00 बजे उ0नि0 कमलेश कुमार थाना कछवां द्वारा मयहमराह हे0का0 देवेन्द्र नाथ पाण्डेय,म0का0 सुमन ग्रादव के गिरफ्तार कर मां0 न्यायालय भेजा।



2- थाना कछवां पुलिस द्वारा 01 किलोम 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये गये अभियान के दौरान उ0नि0 रमाकान्त सिंह ग्रादव थाना कछवां मयहमराह का0 सुमित कुमार,का0 सुनील कुमार के साथ गश्त/वेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सेमरी चौराहा ग्राम बैरनी के पास से दिनांक 30.07.2020 को समय करीब 19.45 बजे अभियुक्त अर्जुन पुत्र भाईलाल निवासी सेमरी गगन का पुरा थाना कछवां मिर्जापुर के पास से 01किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कछवां पर अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।



3- थाना कछवां पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचा 12 बोर एवं दो अदद जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये गये अभियान के दौरान उ0नि0 रामदुलार यादव चौकी प्रभारी भैसा थाना कछवां मयहमराह का0 सरफराज अहमद के साथ गश्त/चेकिंग में मामूर थे, इस चेकिंग के दौरान भूतनाथ मंदिर भैसा के पास से दिनांक 30.07.2020 को समय करीब 18.00 बजे अभियुक्त शम्भु सरोज पुत्र रामजी सरोज निवासी भैसा थाना कछवां जनपद मीरजापुर को एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर एवं दो अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर थाना कछवां पर आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

